

प्राप्ति रसीद

प्रमाणित किया जाता है कि मैं प्रिंस कुमार
 पिता श.क. लाल बहादुर साहू कोठी
 पो- ब-इ-सी कोठी थाना ब-इ-सी कोठी जिला- पूरिया
 मेसर्स प्रमोद होटल, मिठाई की दुकान
 पता हरदा बाजार, काईगाँव-02, पूरिया के
 प्रतिष्ठान से विमुक्त कराया गया ।
 मैं सरकार द्वारा के मद में कुल
 (रुपये 1800/- ~~1800~~ हजार आठ सौ) मात्र श्रम प्रवर्तन
 पदाधिकारी ब-इ-सी कोठी से नगद प्राप्त किया ।

प्रिंस कुमार

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर,

पति श.क. लाल बहादुर साहू

तिथि:- 30.06.2017

मेरे द्वारा मुगतान किया गया
Mukund
क्षेत्र प्रवर्तन पदाधिकारी,
जनमनसी प्रमोद की कोठी

मुगतान एवं विवेकित

श्रम अधीक्षक
पुनियाँ-01